अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव

अ0शा0प0सं0— /33—3—2025
उ0प्र0 शासन
पंचायती राज अनुभाग—3
लखनऊः दिनांकः 11 अप्रैल, 2025

राजस्व अनुभाग द्वारा परिषदादेश सं0 जी—582/जी—5—7 जी—समेकित ग्राम निधि/2018, दिनांक 08.08.2018 से निर्गत अधिसूचना के कम में ग्राम सभा या किसी भूमि प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत अंश सम्बन्धित गॉव निधि में जमा कराये जाने के अनुश्रवण हेतु राजस्व विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से ऑनलाइन पोर्टल—''पट्टा आंवटन(तालाब) डैशबोर्ड'' विकसित किया गया है।

2— उक्तानुसार विकसित पोर्टल पर ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पालन आदि हेतु आंवटन/पट्टे से प्राप्त/जमा धनराशि के ग्राम निधि में हस्तान्तरण हेतु दिनांक 24.03.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में पोर्टल पर तालाबों की संख्या व पट्टों के आंवटन के सापेक्ष फीडिंग की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान कुल तालाबों की संख्या व उसके सापेक्ष किये गये आवंटन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अभी पोर्टल पर पट्टायुक्त तालाब एवं उनसे प्राप्त राजस्व की फीडिंग का कार्य प्रकियाधीन है, जिसके कारण लक्ष्य का निर्धारण किया जाना संभव नही हो पा रहा है। उनके द्वारा इस सम्बंध में नियमित समीक्षा के विषय में अवगत कराया गया कि 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के तालाबों का विवरण राजस्व विभाग के डाटा बेस में उपलब्ध है।

3— इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उक्त पोर्टल का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलो से निकट भविष्य में किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत पोर्टल पर पट्टायुक्त तालाबों की सूचना (लक्ष्य निर्धारण) के साथ उक्त तालाबों से ग्राम पंचायतों को प्राप्त आय का विवरण अद्यतन कराए जाने के सम्बंध में सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि पोर्टल के माध्यम से जनपदवार ग्राम पंचायतवार धनराशि के अनुश्रवण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायतों के गॉव निधि (ओ.एस.आर.) खातो का विवरण एन.आई.सी. को ए.पी.आई. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar
Date: 10-04-2025 15:44:10

(अनिल कुमार)

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 शासन।